

भारत सरकार  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2418  
03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न  
धान्य लक्ष्मी योजना

2418. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. जयंत कुमार राय:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अच्छी धारण (होलिडिंग) क्षमता प्रदान करने और उनकी संभारतंत्र लागत को कम करने के लिए स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा चलाई जाने वाली धान्य लक्ष्मी योजना - एक ग्राम भंडारण योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के बाद से निर्माण किए गए ऐसे ग्राम भंडारणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ब्लॉक/तालुक स्तर पर उपयोगी भांडागारों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-नाम के साथ एकीकृत करने के लिए नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स (ई.एन.डब्ल्यू आर.) पर वित्तपोषण की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एफ.सी.आई. और केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा भांडागार निर्माण कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर कृषि उपज के लिए भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु "धान्य लक्ष्मी स्कीम" के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) : केन्द्र सरकार का आवंटन (पूर्वोत्तर और कुछ अन्य छोटे/ दूरस्थ राज्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण एवं गोदाम" 2017-22), सार्वजनिक निजी भागीदारी [निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी स्कीम), सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति, प्राइवेट वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के तहत साइलो का निर्माण जैसी स्कीमों के जरिए फंडिंग की विभिन्न पद्धतियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा (एफसीआई) वीजीएफ पद्धति में साइलोज का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक, वीजीएफ के तहत 8 साइलोज तैयार किए गए हैं और केवल तीन स्थानों के अनुदान का अनुरोध किया गया है, क्योंकि अन्य स्थानों में प्रीमियम मिल गया है। स्थान-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत वेयरहाउस द्वारा अधिसूचित वस्तुएं जमा होने पर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस (ईएनडब्ल्यूआरएस) रसीद जारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस (ईएनडब्ल्यूआरएस) रसीद बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत देने और वस्तु विनिमय एवं बाजार से बाहर वस्तुओं को बेचने के लिए संविदा का निपटान करने के लिए किया जाता है।

ई-एनडब्ल्यूआर और ई-एनएएम प्लेटफॉर्म का एकीकरण पूर्ण हो चुका है और भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कोई भी वेयरहाउस और राज्य सरकार द्वारा उप-मंडी के रूप में घोषित, ई-एनडब्ल्यूआर के जरिए ई-एनएएम पर व्यापार किया जा सकता है।

(घ): केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम" (पूर्वोत्तर पर केंद्रित), 2017-22 के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1,65,450 टन (पूर्वोत्तर में 1,05,890 टन और पूर्वोत्तर से इतर 59,560 टन) की कुल भंडारण क्षमता के निर्माण की योजना है ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भंडारण निगम ने अपनी निधियों के जरिए 2021-22 से 2024-25 के बीच 16.01 लाख टन के निर्माण की योजना तैयार की है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2418 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

वीजीएफ पद्धति के अंतर्गत साईलो

स्थान	कार्य सौंपने की तारीख	कुल परियोजना लागत (करोड़ में)	क्षमता (लाख टन में)	मांगा गया अनुदान (जी) / प्राप्त प्रीमियम (पी) (रूपए में)	निर्धारित भंडारण प्रभार (रू. प्रति टन/ माह में)	निवल आधार पर निर्धारित भंडारण प्रभार (रू. प्रति टन/ माह में)
नरेला, दिल्ली	30.03.16	41.84	0.5	82,23,000 (पी)	97.40	83.70
चंगसेरी, असम	30.03.16	42.48	0.5	68,22,000 (पी)	97.40	86.03
सहनेवाल, पंजाब	30.03.16	42.37	0.5	66,66,000 (पी)	97.40	86.29
कटिहार, बिहार	07.03.16	44.63	0.5	20,20,000.00 (पी)	97.40	94.03
धमोरा, उ.प्र.	20.06.19	37.86	0.5	1,50,13,550 (पी)	104.44	79.42
कैमूर और बक्सर, बिहार	28.08.18	65.28	0.5 प्रत्येक	7,65,00,000 (जी)	66.04	-
कोटकपुरा, पंजाब	07.03.16	35.62	0.25	5,69,00,000 (जी)	97.40	-

\* राइस साईलो के निर्माण के लिए पायलट परियोजना (37500 टन गेहूं + 12500 टन चावल)

\*\*\*\*\*